भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1748

दिनांक 02 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: बढ़ता दुग्ध उत्पादन

1748. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः
श्री रामचन्द्र बोहराः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या कोई योजना बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य के प्रति चिंतित है कि देश में अधिकार दुग्ध आपूर्ति एजेंसियां मिलावट की चुनौती का सामना कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा शुद्ध और पोषक दुग्ध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) 2017-18 के दौरान देश में कुल अनुमानित दुग्ध उत्पादन 176.35 मिलियन टन है।

(ख) डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 तक 254.55 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य की परिकल्पना करती है। विभाग डेयरी विकास योजनाओं नामतः राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी), डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना-I, डेयरी क्रियाकलापों में संलग्न डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डी.आई.डी.एफ.) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए देश भर में डेयरी अवसंरचना विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है, जिनका उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन को गति प्रदान करना है।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डेयरी घटकों के आधार पर 25% से 100% के बीच केन्द्रीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

(ड़) और (च) चूँकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में निहित है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त दुग्ध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी और प्रवर्तन अभियान चलाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) के लिए नियमित आधार पर अधिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करते हुए खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। एफ.एस.एस.ए.आई. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है और साथ ही उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी प्रदान कर रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारिताओं को दुग्ध मिलावट परीक्षण मशीनें खरीदने के लिए भी सहायता देता है।

डेयरी विकास कार्यक्रमों नामतः राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी) और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डी.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत, विभाग देशभर में शुद्ध और पोषकीय दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध खरीद और वितरण अवसंरचना को मजबूत करने और आधुनिकीकरण करने के लिए डेयरी सहकारिताओं की सहायता कर रहा है।

*****